मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2014-फाल्गुन 9, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

आम सूचना

मेसर्स आदित्य एग्रो फर्म की स्थापना के समय पार्टनर्स श्रीमती ममता सूर्यवंशी पत्नि श्री सी. बी. सूर्यवंशी, उम्र 45 वर्ष, जाति कलार निवासी शिवम सुन्दरम नगर, पी.जी. कॉलेज रोड, छिंदवाड़ा, तह. व जिला छिंदवाड़ा, म. प्र. है एवं द्वितीय पार्टनर श्रीमती रीता घई पत्नि स्व. श्री राजीव घई, उम्र 52 वर्ष, जाति पंजाबी, निवासी पुराना नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा, तह. व जिला छिंदवाड़ा म. प्र. थे, लेकिन वर्तमान में मेसर्स आदित्य एग्रो फर्म के द्वितीय पार्टनर श्रीमती रीता घई पत्नि स्व. श्री राजीव घई के स्थान पर नये पार्टनर श्री आदित्य सूर्यवंशी पिता श्री सी. बी. सूर्यवंशी, उम्र 23 वर्ष, निवासी शिवम सुन्दरम नगर, पी.जी. कॉलेज रोड, छिंदवाड़ा, तह. व जिला छिंदवाड़ा, म. प्र. को लिया गया है. वर्तमान में पार्टनर श्रीमती ममता सूर्यवंशी एवं श्री आदित्य सूर्यवंशी है. सूचनार्थ हेतु प्रेषित.

मेसर्स आदित्य एग्रो,
ममता सूर्यवंशी,
(611-बी.) (भागीदार).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-04-2012 से भागीदारी पंजीकृत फर्म मे. एस. के. चौहान 49, नर्मदा रोड, म.नं.-1240/ए, गोरखपुर, जबलपुर की भागीदारी में, श्री तेजस चौहान भागीदार के रूप में शामिल कर लिए गए हैं तथा श्रीमती ज्योत्सना एस. चौहान भागीदारी से विलग हो गई है.

मेसर्स एस. के. चौहान,
बलवीर कुमार चौहान,
(612-बी.) (भागीदार).

आम सूचना

आम जनता एवं समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस. के. कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म है, उक्त फर्म की डीड वर्ष 1983 में बनाई गई थी, जिसमें दो पार्टनर श्री सुनील कुमार गर्ग पिता श्री एच. के. गर्ग एवं श्री दशरथ लाल पिता श्री चमरूलाल बरमिया थे जिनका पता आजाद चौक, छिंदवाड़ा (म. प्र.). उक्त डीड में निम्न संशोधन किये गये हैं :—

1. दिनांक 10-05-1984 से डीड में संशोधन करते हुए श्री दशरथ लाल बरमिया को फर्म से अलग कर उनके स्थान पर श्री संजीव कुमार गर्ग पिता श्री एच. के. गर्ग एवं श्रीमती मोहिनी गर्ग पति श्री एच. के. गर्ग दोनों का पता, आजाद चौक, छिंदवाड़ा को भागीदार बनाया गया.

2. दिनांक 01-04-1998 से फर्म की डीड में हुए संशोधन अनुसार श्री सौरभ गर्ग पिता स्व. श्री एच. के. गर्ग का पता 148, ए.पी.आर. कॉलोनी, कटंगा, जबलपुर को भागीदार बनाया गया.
3. दिनांक 01-04-1998 से फर्म के मुख्य कार्यालय का पता आजाद चौक, छिंदवाड़ा से परिवर्तित किया जाकर 148, ए.पी.आर. कॉलोनी, कटंगा, जबलपुर, म. प्र. किया गया है.
4. फर्म के भागीदारों का पता भी परिवर्तित किया गया. नया पता 1. श्री सुनील कुमार गर्ग, 148, ए.पी.आर. कॉलोनी, कटंगा, जबलपुर, 2. श्री संजीव कुमार गर्ग, 148, ए.पी.आर. कॉलोनी, कटंगा, जबलपुर, 3. श्रीमती मोहिनी गर्ग, 148, ए.पी.आर. कॉलोनी, कटंगा, जबलपुर है.
5. फर्म की भागीदार श्रीमति मोहिनी गर्ग पति स्व. श्री एच. के. गर्ग के असमय निधन हो जाने के बाद दिनांक 11-02-2002 को फर्म की भागीदार नहीं रही है.
6. दिनांक 01-04-2005 से संशोधन करते हुए श्री सुनील कुमार गर्ग (एच. यू. एफ.) कर्ता श्री सुनील कुमार गर्ग एवं श्री संजीव कुमार गर्ग (एच. यू. एफ.) कर्ता श्री संजीव कुमार गर्ग एवं सौरभ गर्ग (एच. यू. एफ.) कर्ता सौरभ गर्ग फर्म में पार्टनर बनाये गये, इस तरह फर्म में कुल 06 पार्टनर हैं.
7. फर्म में दिनांक 01-04-2008 को संशोधन करते हुए श्रीमती शिखा गर्ग पत्नि श्री सुनील कुमार गर्ग एवं श्रीमति अर्चना गर्ग पत्नि श्री संजीव कुमार गर्ग एवं श्रीमति श्वेता गर्ग पत्नि श्री सौरभ गर्ग, तीनों निवासी 148, ए.पी.आर. कॉलोनी, कटंगा, जबलपुर को पार्टनर बनाया गया है, इस तरह मेसर्स एस. के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पार्टनरशिप डीड में दिनांक 01-04-2008 के बाद से आज तक कुल 09 भागीदार यथावत हैं, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके बाबत् इस आज सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है.

मेसर्स एस. के. कंस्ट्रक्शन कं.,
संजीव कुमार गर्ग,
(भागीदार)
148, ए.पी.आर. कॉलोनी, कटंगा, जबलपुर (म. प्र.).

(621-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म राधेलाल श्रीनारायण माहेश्वरी एण्ड संस, होटल गंधर्व कम्पाउण्ड, भगवानगंज, सागर फर्म के भागीदार श्री कैलाशचंद जी माहेश्वरी का स्वर्गवास दिनांक 08-10-2013 को हो गया है.

उनके स्थान पर फर्म के नये भागीदार के रूप में उनकी धर्मपत्नि श्रीमति नीता माहेश्वरी पत्नि स्व. श्री कैलाशचंद जी माहेश्वरी को फर्म में शामिल किया जा रहा है.

जगदीश प्रसाद माहेश्वरी,
(सूचनाकर्ता)
फर्म—राधेलाल श्रीनारायण माहेश्वरी एण्ड संस,
होटल गंधर्व कम्पाउण्ड, भगवानगंज,
सागर (म. प्र.).

(622-बी.)

नाम परिवर्तन

हमने हमारी पुत्री फातेमा का नाम बदलकर फातेमा लोहावाला कर लिया है. अत: अब से हमारी पुत्री को इसी नाम से जाना जावे.

माता—**मुनिरा लोहावाला,**
पिता—**अख्तर हुसैन लोहावाला,**
पता—372-373, खातीवाला टैंक,
बादशाह एम्पायर, इन्दौर (म. प्र.).

(538-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं पवन कुमार ऐरन ने अपना नाम परिवर्तन कर पवन अग्रवाल कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(पवन कुमार ऐरन)

नया नाम :
(पवन अग्रवाल)
पता—ए/4, संजय उपवन,
एम. आई. जी. कॉलोनी, इन्दौर (म. प्र.).

(605-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं अर्चना ऐरन ने अपना नाम परिवर्तन कर अर्चना अग्रवाल कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(अर्चना ऐरन)

नया नाम :

(अर्चना अग्रवाल)

पता—ए/4, संजय उपवन,

(606-बी.) एम. आई. जी. कॉलोनी, इन्दौर (म. प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Mariamma Onattkunnel Mathen hereby declare that after marriage I have change my name as Maya Rojinder W/o Sanjay Rojinder. So, from now and in future. I will be known by new name.

Old Name :

(MARIAMMA ONATTKUNNEL MATHEN)

New Name :

(MAYA ROJINDER)

W/o Sanjay Rojinder,

Add-176-177 KA, Scheme No. 71,

(607-B.) Gumasta Nagar, Indore (M. P.).

उप-नाम परिवर्तन

शादी से पहले मेरा नाम कु. रिजवाना बानो (Rijwana Bano) था. शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती रिजवाना सैफी (Mrs. Rijwana Saify) पत्नि श्री हकीमउद्दीन सैफी हो गया है. अब मुझे इसी नये नाम से जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(रिजवाना बानो)

नया नाम :

(रिजवाना सैफी)

म. नं. 126, वार्ड नं. 4, मंगलवारा,

(608-बी.) मोती गली, होशंगाबाद (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है पूर्व में मेरा नाम रश्मी दुबे (Rashmi Dubey) था जो कि बदलकर मैंने अपना नाम श्रेया दुबे (Shhreya Dubeyy) रख लिया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रश्मी दुबे)

(RASHMI DUBEY)

नया नाम :

(श्रेया दुबे)

(SHHREYA DUBEYY)

6, गोयल नगर, 205 आर-ब्लॉक,

(609-बी.) इन्दौर (म. प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हेमलता मण्डलोई (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) निवासी—खरगौन, जिला खरगौन (म. प्र.) की निवासी हूं. मेरा विवाह दिनांक 09-01-2007 को श्री अवधेश कुमार शर्मा, निवासी कुम्भराज, जिला गुना (म. प्र.) से सम्पन्न हो गया है. विवाह के पश्चात् मैं, मेरा उपनाम परिवर्तन करा रही हूं.

अत: मेरा नाम हेमलता मण्डलोई के स्थान पर श्रीमति हेमलता शर्मा पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(हेमलता मण्डलोई)

पुत्री श्री बीरेन्द्र सिंह मण्डलोई

नया नाम :

(हेमलता शर्मा)

पत्नी श्री अवधेश कुमार शर्मा,

निवासी-ब्राह्मण मोहल्ला, कुम्भराज,

(610-बी.) जिला गुना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सईदुद्दीन अंसारी आत्मज श्री जहीरूद्दीन अंसारी, निवासी बिछिया, पोस्ट बटुरा वाया अमलाई कालरी, जिला शहडोल (म. प्र.) शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने अपना नाम सईदुद्दीन अंसारी से बदलकर सईद अहमद कर लिया है. अत: अब मुझे सईद अहमद के नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(सईदुद्दीन अंसारी)

नया नाम :
(सईद अहमद)
पता—बिछिया पोस्ट बटुरा वाया अमलाई,
कालरी, जिला शहडोल (म. प्र.).

(613-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कुमारी संतोष दुबे पिता श्री विष्णु प्रसाद दुबे था. अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती लीना शर्मा पत्नि श्री दीपक शर्मा हो गया है. अत: भविष्य में मुझे श्रीमती लीना शर्मा के नाम से ही जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(संतोष दुबे)

नया नाम :
(लीना शर्मा)
निवासी—एल.आई.जी. 205, पटेल नगर,
मण्डीदीप, जिला रायसेन (म. प्र.).

(614-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे जन्म प्रमाण-पत्र में प्रियंका लिखा है कि जिसका परिवर्तित नाम शेफाली सोनी है. समस्त शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में शेफाली सोनी ही अंकित है. मुझे शेफाली सोनी के नाम से ही लिखा, पढ़ा एवं जाना जाए.

पुराना नाम :
(प्रियंका)

नया नाम :
(शेफाली सोनी)
पिता—प्रकाश चंद सोनी,
एम. आई. जी.-43, दीनदयालपुरम्,
खण्डवा (म. प्र.).

(615-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, कमलेश पिता नागुलाल अपने 'कमलेश' नाम के संबंध में यह सर्व-साधारण को सूचित करता हूं चूंकि मेरे बचपन में मेरे माता-पिता द्वारा दो नाम रामलाल व कमलेश रखा गया था. स्कूल रिकार्ड में रामलाल दर्ज करवाया है. किन्तु बचपन से आज तक मुझे कमलेश के नाम से पुकारते व जानते, पहचानते रहे हैं. मेरे द्वारा भी कमलेश के नाम का ही उपयोग कर व्यवहार रूप में शासकीय/अशासकीय जहां-जहां भी नाम बताने एवं लिखवाने का मौका आया है. मैंने अपना नाम कमलेश ही दर्ज करवाया है. चूंकि रामलाल व कमलेश मेरे ही नाम हैं. इसलिये रामलाल के बजाय मेरे प्रचलित नाम कमलेश का उपयोग कर रहा हूँ और आगे भी यही नाम व्यवहार में शासकीय/अशासकीय कार्यवाही में करता रहूंगा और सर्व-साधारण भी मुझे कमलेश के नाम से जाने, पहचाने व सम्बोधित करें.

पुराना नाम :
(रामलाल)

नया नाम :
(कमलेश)
पिता नागुलाल,
नया बाजार, रिंगनोद,
तह. जावरा, जिला-रतलाम (म. प्र.).

(616-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह पूर्व नगर निगम व मार्कशीट आदि दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्पा बठीजा पुत्री श्री सुन्दरदास बठीजा निवासनी जबलपुर, म. प्र. था परन्तु दिनांक 03 जुलाई, 1987 को मनोज राजपाल पुत्र परमानंद राजपाल,

निवासी—यादव कॉलोनी, मेडीकल कॉलेज के पास, लश्कर, ग्वालियर से विवाह उपरांत मेरा नाम रीमा राजपाल पत्नी मनोज राजपाल हो गया है. अत: दिनांक 03-07-1987 से मुझे श्रीमती रीमा राजपाल के नाम से जाना, पहचाना जा रहा है और भविष्य में भी उपरोक्त परिवर्तित नाम से ही पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(पुष्पा बठीजा)

(PUSHPA BATHIJA)

(617-बी.)

नया नाम :

(रीमा राजपाल)

(REEMA RAJPAL)

पत्नी मनोज राजपाल.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वर्तमान नाम पूजा जैन पति दिलीप कुमार जैन है. मेरा सही नाम विष्णुप्रिया जैन पति दिलीप कुमार जैन है. अत: भविष्य में इसी नाम से जाना, पहचाना जाए. इसमें मेरे परिवार की सहमति है.

पुराना नाम :

(पूजा जैन)

(618-बी.)

नया नाम :

(विष्णुप्रिया जैन)

ए-204, बी.सी.एम. हाइटस,
बाम्बे अस्पताल लिंक रोड, इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम दीप लकड़ा था, जिसे मैंने परिवर्तित कर दीप केरकेट्टा पुत्री श्री पौलुस केरकेट्टा रख लिया है. अत: भविष्य में मुझे मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे दीप केरकेट्टा के नाम से जाना, पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(दीप लकड़ा)

(619-बी.)

नया नाम :

(दीप केरकेट्टा)

निवासी—एल.आई.जी. सेक्टर जी,
मकान नं. 1527, दीनदयाल नगर,
ग्वालियर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आफताब चतुर्वेदी है किन्तु कुछ दस्तावेजों में आफताब आलम लेख किया गया है. इसलिए मेरे नाम को संशोधित कर आज से आफताब चतुर्वेदी पढ़ा व लिखा एवं माना, जाना जाए.

पुराना नाम :

(आफताब आलम)

(620-बी.)

नया नाम :

(आफताब चतुर्वेदी)

बंगला नं. 25, नौगाँव,
जिला छतरपुर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम श्रीमती उरूसा फारूकी था, जो कि अब बदलकर श्रीमती बिलकिस फारूकी हो गया है. अत: अब सभी जन मुझे मेरे नए नाम बिलकिस फारूकी से ही जाने एवं पहचाने.

पुराना नाम :

(उरूसा फारूकी)

(623-बी.)

नया नाम :

(बिलकिस फारूकी)

779/1, सकेत नगर, मनीषपुरी,
जी-1, विजय अपार्टमेंट, ई ब्लॉक,
इन्दौर (म. प्र.).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग-देवास

देवास, दिनांक 14 फरवरी, 2014

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 1540/रीडर-1/14.—अध्यक्ष श्री विमल शर्मा, मुख्य कार्यकारी न्यासी "श्री योगमाया महालक्ष्मी पारमार्थिक न्यास" देवास के नाम से पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र, उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में चालान क्रमांक 99, दिनांक 13 फरवरी, 2014 से भारतीय स्टेट बैंक, मोतीबंगला शाखा, देवास में पंजीयन शुल्क रुपये 5/- की राशि जमा कर चालान की प्रति संलग्न की गई है.

अत: "श्री योगमाया महालक्ष्मी पारमार्थिक न्यास" देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 18 मार्च, 2014 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 14 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

धीरज श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(51)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. एम. पी. नगर वृत्त, भोपाल

प्र. क्र./ 14/बी-113/2012-13.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

समक्ष—रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजूल वृत, एम. पी. नगर, जिला-भोपाल.

जैसाकि अमित कुमार तिवारी, अध्यक्ष श्री गोविन्द शिक्षा न्यास, एच-62, बागमुगालिया एक्सटेंशन, भोपाल (म. प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र सूची में दर्शाए सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2014 को विचार में लिया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	अमित कुमार तिवारी, अध्यक्ष श्री गोविन्द शिक्षा न्यास, एच-62, बागमुगालिया एक्सटेंशन, भोपाल
चल सम्पत्ति	:	5,000/-
अचल सम्पत्ति	..	निरंक

जी. एस. धुर्वे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(137)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन

प्र. क्र. /बी-113/2013-14.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि अध्यक्ष, साध्वी हेमलता पुत्री श्री ईश्वरीय प्रसाद शर्मा, निवासी—ग्राम आलमपुर उडाना, तह. उज्जैन आदि ने श्री भारत माता सेवा श्रम न्यास आलमपुर उडाना, पोस्ट पंथपिपलई, तह. उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 फरवरी, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन तथा लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	श्री भारत माता सेवा श्रम न्यास आलमपुर उडाना, पोस्ट पंथपिपलई, तह. उज्जैन.
कार्यालय	..	आलमपुर उडाना, पोस्ट पंथपिपलई, तह. उज्जैन
अचल सम्पत्ति	..	निरंक
चल सम्पत्ति	..	ट्रस्ट के पास नगद 21,000/- रुपये हैं.

(338)

प्र. क्र. /बी-113/2013-14. उज्जैन, दिनांक 04 फरवरी, 2014

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि अध्यक्ष, मदनसिंह पिता श्री चम्पालालजी डोडिया, निवासी—ग्राम दुबली, उज्जैन हाल मुकाम एल.आई.जी. द्वितीय 401, मकोडिया आम इंदिरा नगर, उज्जैन ने अखिल भारतीय क्षत्रीय खारोल समाज प्रान्तीय समिति, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951

(1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28 फरवरी, 2014 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28 फरवरी, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन तथा लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	अखिल भारतीय क्षत्रीय खारोल समाज प्रान्तीय समिति, उज्जैन.
कार्यालय	..	15, बिलोटीपुरा, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग नं. 9, उज्जैन, तह. उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक
चल सम्पत्ति	..	आवेदन अनुसार ट्रस्ट के पास नगद 21,000/- रुपये आवेदन-पत्र में होना बताया है.

(338-A)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रबंध न्यासी शबीर शेख हसन अली हैदरी शॉप वाला, निवासी—126, खाराकुंआ बोहरा बाखल, उज्जैन द्वारा न्यास-अंजुमन-ए-नजमी दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट हकीमी मोहल्ला, उज्जैन का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28 फरवरी, 2014 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28 फरवरी, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन तथा लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	अंजुमन-ए-नजमी दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट, उज्जैन.
कार्यालय	..	8, बोहरा मस्जिद, भादरपुरा, खाराकुंआ, उज्जैन.
चल सम्पत्ति	..	आवेदन पत्रानुसार नगद 5,200/- रुपये.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक

(338-B)

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रबंध न्यासी मुल्ला असगर अली मुल्ला ताहेर अली लाथावाला (इन्द्री.), निवासी—91/1, नजमी विला, डाबरी पीठा, दादा भाई नैरोजी मार्ग, उज्जैन द्वारा न्यास—दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट, इब्राहिम मोहल्ला, उज्जैन का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28 फरवरी, 2014 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28 फरवरी, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और मेरे कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास, की सम्पत्ति का वर्णन तथा लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट, उज्जैन.
कार्यालय	..	42, बोहरा मस्जिद, इब्राहिमपुरा, उज्जैन.
चल सम्पत्ति	..	5,200/- रुपये.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक

(338-C)

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रबंध न्यासी मुकेश पिता कुंजीलाल सुगंधी, निवासी—102, पार्श्वनाथ कॉम्पलेक्स, नई सड़क, उज्जैन द्वारा न्यास—हाटकेश्वर मंदिर

धर्मशाला दशोरा समाज ट्रस्ट, नदी दरवाजा, उज्जैन का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 10 मार्च, 2014 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10 मार्च, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और मेरे कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	..	हाटकेश्वर मंदिर धर्मशाला दशोरा समाज ट्रस्ट, नदी दरवाजा, उज्जैन.
कार्यालय	..	नदी धर्मशाला, रामघाट, उज्जैन
अचल सम्पत्ति	..	अचल सम्पत्ति के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने से निरंक.
चल सम्पत्ति	..	निरंक.

शैलेन्द्रसिंह सोलंकी,

(339-D) पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीतामऊ, जिला मन्दसौर

सीतामऊ, दिनांक 30 जनवरी, 2014

प्र. क्र. 01/बी-113 /2013-14.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, सीतामऊ, जिला मन्दसौर के समक्ष.

श्री श्री रामचन्द्रजी का मंदिर, ग्राम पतलासीकलां, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर, म. प्र.

2. चूँकि श्री रामचन्द्र जी का मंदिर धार्मिक न्यास गांव, पतलासीकलां, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, म. प्र. द्वारा मुख्य न्यासधारी श्री रामेश्वर पिता कारूलाल जी प्रजापत आदि-12, निवासीयान पतलासीकलां, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर (म. प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 फरवरी, 2014 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

4. अतः मैं, वीरसिंह चौहान, पंजीयक, लोक न्यास, सीतामऊ, जिला मन्दसौर का लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 26 फरवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 26 फरवरी, 2014 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

सम्पत्ति का विवरण :— ट्रस्ट की सभी चल-अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छाया प्रतियां

संलग्न है जो निम्न प्रकार हैं.—

1. अचल सम्पत्ति:—ग्राम पतलासीकलां, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर स्थित श्री रामचन्द्र जी का मंदिर की लम्बाई 30 फीट तथा चौड़ाई 27 फीट है, ग्राम पतलासीकलां में निम्न कृषि भूमियां स्थित हैं सर्वे नं. 773 रकबा 0.300 हे., सर्वे नं. 826 रकबा 0.320 हे., सर्वे क्रमांक 828 रकबा 0.510 हे., सर्वे क्रमांक 830 रकबा 0.210 हे. सर्वे क्रमांक 839 रकबा 2.300 हे., सर्वे क्रमांक 858 रकबा 1.200 हे. कुल किता 6 कुल रकबा 4.840 हे., अनुमानित मूल्य लगभग 28,26,560/- रुपये है.

2. चल सम्पत्ति:—तीन चाँदी के मुकुट वजन 720 ग्राम, घण्टियां इत्यादि मूल्य 40,000/- रुपये है. इस प्रकार कुल चल-अचल सम्पत्ति का कुल अनुमानित मूल्य 28,64,560/- (अट्ठाईस लाख, चौसठ हजार, पाँच सौ साठ) रुपये है. ,

लोक न्यास का नाम "श्री रामचन्द्रजी का मंदिर धार्मिक न्यास, गांव पतलासीकलां, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर है."

वीरसिंह चौहान,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(132-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर

दिनांक 30 जनवरी, 2014

प्र. क्र. 01/बी-113 /2013-14.

(प्रारूप-चार)

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-5 (1) देखिये]

चूँकि श्री मदनलाल पिता गोपीलाल सोलंकी आदि-5, निवासी संजीत ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 06 मार्च, 2014 को दिन में सुबह 11.00 बजे विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास की सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों तो लिखित में दो-दो प्रति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अंदर प्रस्तुत करें. अन्यथा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता : श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट, संजीत, तहसील मल्हारगढ़.

चल-अचल सम्पत्ति : निरंक.

आर. पी. वर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(133)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर

बण्डा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2013

रा. प्र. क्र. 127 बी/121/वर्ष 2012-13. ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़.

आधारसिंह पिता गजराजसिंह लोधी,
निवासी ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, (म. प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

क्र./क/3129/री.-1/2013.—सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक आधारसिंह पिता गजराजसिंह लोधी,

निवासी ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़, जिला सागर द्वारा मौजा ग्राम नौराज में स्थित श्री देव जानकी रमण मंदिर जो ट्रस्ट पंजी क्रमांक 06 ब पर पंजीकृत है. आवेदक द्वारा नवीन समिति के पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र तथा चालान की प्रति पेश की. मंदिर के नाम मौजा नौराज में ख. नं. 7, 9, 16, 187, 546, 550, 551, 554, 175 रकबा क्रमशः 1.80, 0.29, 0.26, 0.97, 0.15, 0.15, 0.05, 0.29, 1.47 कुल रकबा 1.47 कुल रकबा 5.43 हे. भूमि मंदिर के नाम दर्ज है, जिसके प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर हैं. उक्त मंदिर का ट्रस्ट गठन कर पंजीयन हेतु मंदिर समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

क्र.	प्रस्तावित नाम	पदनाम	निवास का पता
1.	श्री आधारसिंह पिता गजराजसिंह लोधी	अध्यक्ष	ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़
2.	श्री मलखान सिंह पिता हिम्मतसिंह लोधी	उपाध्यक्ष	ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़
3.	श्री मजबूतसिंह पिता सुकमनसिंह लोधी	सचिव	ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़
4.	श्री देवेन्द्र सिंह पिता गजराजसिंह लोधी	कोषाध्यक्ष	ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़
5.	श्री रतनसिंह पिता हल्काई लोधी	सदस्य	ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़
6.	श्री परषोत्तम पिता रामाप्रसाद पटैरिया	सदस्य	ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़
7.	श्री विजयन्त सिंह पिता दौलतसिंह लोधी	सदस्य	ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़
8.	श्री दुरगसिंह पिता सीताराम ब्राह्मण	सदस्य	ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़
9.	श्री गोपालसिंह पिता सीताराम ब्राह्मण	सदस्य	ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़
10.	श्री इमरत पिता हरप्रसाद ब्राह्मण	सदस्य	ग्राम नौराज, तहसील शाहगढ़

उक्त मंदिर समिति के गठन के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद निकलने पर आपत्ति प्रस्तुत करने पर किसी भी प्रकार का गौर नहीं किया जायेगा तथा आपत्ति मान्य नहीं होगी न सुनवाई की जावेगी.

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया.

जारी दिनांक 18 दिसम्बर, 2013.
पेशी दिनांक 20 जनवरी, 2014.

(135)

प्र. क्र. 219 बी/121 वर्ष 2012-13 मौजा चौकाभेड़ा, तह. बण्डा.

मनोज कुमार पिता परमेश्वर उर्फ बलराम प्रसाद दुबे,
निवासी ग्राम रामपुरा, तहसील रहली, जिला सागर, म. प्र. .....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक मनोज कुमार पिता परमेश्वर उर्फ बलराम प्रसाद दुबे, निवासी ग्राम रामपुरा, तह. रहली, जिला सागर, म. प्र. के द्वारा मौजा ग्राम चौकाभेड़ा, प. ह. नं. 93, तह. बण्डा में स्थित मंदिर श्री देव हरेश्वरजी, पार्वतीजी, गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी, महावीर जी, मुह. गोपीप्रसाद, रामदुलारी, विश्वनाथ, बारेलाल साकिन देह के नाम ख. नं. 445, 461, 465, 480, 606, 608, 609, 913 कुल-08 मेडे रकबा क्रमशः 1.67, 0.19, 0.06, 0.67, 0.28, 0.25, 0.01, 0.50 हे. कुल रकबा 3.63 हे. जो श्रीदेव हरेश्वर जी, पार्वतीजी, गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी, महावीर जी प्रबंधक कलेक्टर, सागर सा. देह भूमि स्वामी दर्ज है. आवेदक द्वारा श्रीमती रामदुलारी विधवा रघुनंदन दुबे, निवासी रामपुर तहसील रहली, जिला सागर की दिनांक 22 जुलाई, 2010 को मृत्यु हो जाने से आवेदक के स्वयं को मुहत्तमकार दर्ज किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 19 फरवरी, 2014 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पद मुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 24 जनवरी, 2014.

पेशी दिनांक 19 फरवरी 2014.

भूपेन्द्र कुमार गोयल,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(135-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना गुना

प्र. क्र. 871/ बी-113/2013-14.

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रवणकुमार सोनी, मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गायत्री शक्ति पीठ, गुना की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत कर संलग्न गायत्री शक्ति पीठ की बैठक दिनांक 16-07-13 की छायाप्रति संलग्न करते हुये आवेदन में उल्लेख किया गया है कि एक बैठक दिनांक 16-07-13 को आयोजित की गई. इसमें विभिन्न कारणों से 6 ट्रस्टियों ने त्यागपत्र दिये तथा एक ट्रस्टी के बैठक में भाग नहीं लेने तथा गायत्री परिवार के कार्यों में रुचि न दिखाने के कारण ट्रस्ट से पृथक् किया गया. यह निर्णय 11 ट्रस्टियों में से 9 ट्रस्टियों ने लिया. इस प्रकार 4 पुराने व 7 नये ट्रस्टियों को सम्मिलित किया गया है. उस अनुसार रिकार्ड में संशोधन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. उक्त आवेदन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति है तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 28-02-2014 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उक्त दिनांक निकल जाने के उपरांत किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 11 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

टी. एन. सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(136)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री गुलाबचंद पारमार्थिक ट्रस्ट कार्यालय 11, सरजूप्रसाद मार्ग, इन्दौर की ओर से श्री आनंद पिता गोकुलदास, निवासी—50, गुलमोहर कॉलोनी, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री गुलाबचंद पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय	:	11, सरजूप्रसाद मार्ग, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र).

आज दिनांक 01 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(139)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 12 फरवरी, 2014

क्र./आब./बकाया/14/248.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि राजगढ़ जिले के निम्नानुसार अंकित आबकारी बकायादार का फोटो तथा उससे संबंधित जानकारी प्रकाशित की जा रही है. ये आबकारी बकायादार है तथा इनसे म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत बकाया राजस्व की वसूली की जाना है. अत: बकायादार के नीचे छपे चित्र वाले व्यक्ति को यदि कोई पहचानता हो तो उसके संबंध में आवश्यक जानकारी निवास स्थान अथवा कार्य करने के स्थान का पता इत्यादि चल/अचल सम्पत्ति की किसी भी व्यक्ति को जानकारी हो तो जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय राजगढ़ को आवश्यक रूप से सूचित करने का कष्ट करें.

सम्पर्क दूरभाष : 07372-255004

क्र.	बकायादार का फोटो	बकायादार का नाम एवं पता	बकाया का विवरण	कुल अवशेष राशि
1.	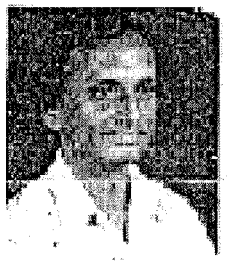 विष्णु जायसवाल	मेसर्स सुखसंगम ट्रेडर्स, भागीदार— (1) श्री विष्णु जायसवाल पिता श्री फुन्दीलाल जायसवाल, पता— 129, राउत भवन पार्ले, ई. मुम्बई. कार्पोरेट ऑफिस 28, न्यू एम.एल.ए. क्वार्टर, जवाहर चौक, भोपाल. (2) श्री केशवसिंह पिता लालसिंह पता—129, राउत भवन पार्ले, ई. मुम्बई. कार्पोरेट ऑफिस 28, न्यू एम.एल.ए. क्वार्टर, जवाहर चौक, भोपाल.	वर्ष 2000-2001 की देशी/विदेशी मदिरा समूह राजगढ़ एवं सारंगपुर लायसेंस फीस की बकाया राशि.	1,23,51,556

आर. के. जैन,
जिला आबकारी अधिकारी.

(132)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2013

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष-श्री मोहम्मद फारुख पिता श्री फकीर मोहम्मद,
   पता-412, सांई संपदा, ए.बी. रोड, इन्दौर.
2. उपाध्यक्ष-श्रीमती मनिता पति विपिन गुप्ता,
   पता-792, बजरंग नगर, इन्दौर.
3. उपाध्यक्ष-श्री रमेश पिता ग्यारसीलाल,
   पता-सी, 947 दीनदयाल उपाध्याय नगर, इन्दौर.
4. संचालक-श्री सुशील गुप्ता पिता ओमप्रकाश गुप्ता,
   पता-71, इमली बाजार, इन्दौर.
5. संचालक-श्रीमती रेखा पति श्री रमेश,
   पता-3/1, खुशी पेलेस, इन्दौर.
6. संचालक-श्री सखाराम-जगन्नाथ,
   पता-570, भवानी नगर, सांवेर रोड, इन्दौर.

7. संचालक-श्रीमती रीता चौधरी पति सखाराम चौधरी,
पता-570, भवानी नगर, सांवेर रोड, इन्दौर.
8. संचालक-श्री मंकेश-मंगलप्रसाद,
पता-25-क नई आबादी, इन्दौर.
9. संचालक-श्री रमेश-गिरधारी,
पता-3/1, सूर्या पैलेस, इन्दौर.
10. संचालक-श्रीमती मंजु पति विनोद,
पता-127/4, माँ शारदा नगर, इन्दौर.
11. संचालक-श्रीमती सुमन पति रतन चौहान,
पता-102, खातीपुरा मेन, इन्दौर.

क्र./परि./2013/3353.—धनलाभ क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./आय.डी.आर./2518, दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 है. संस्था के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी श्री जी. एस. भाटिया, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

1. धनलाभ क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्या., इन्दौर की जाँच करने के लिये अधिकृत किया है. मैने दिनांक 18, 19 एवं 21 अक्टूबर, 2013 को इस संस्था के कार्यालय 218, 219 मेघदूत टॉवर, दूसरी मंजिल, स्कीम नं. 54, सयाजी होटल के पीछे इन्दौर में जाँच की गई.

2. इस संस्था में कैशबुक लिखी नहीं पाई गई है. हिसाब-किताब कैशियर ने रजिस्टर पर लिखा है. वर्तमान कैशियर कु. आशा परिहार ने बताया कि उनके पास दिनांक 10 अगस्त, 2012 से वर्तमान तक के रजिस्टर हैं. इन रजिस्टरों अनुसार प्रतिदिन जो सिल्लक शेष रहती थी वह संस्था अध्यक्ष फारुख गौरी या संस्था प्रबन्धक श्री विपिन गुप्ता को दे देती थी. इस प्रकार इस अवधि में इनके द्वारा रु. 1.25 करोड़ लगभग इन दोनों को दिये हैं. दिनांक 10 अगस्त, 2012 से पूर्व का हिसाब अभी अप्राप्त है.

3. संस्था द्वारा बिना सदस्य बनाये लगभग 500 लोगों को लगभग रु 84.00 लाख ऋण दिया है इनकी वसूली हुई है या नहीं? वसूली राशि किसने प्राप्त की है जानकारी अभी अप्राप्त है.

4. संस्था में लगभग 15 एजेन्ट थे जो लोगों से बचत राशि प्राप्त करते थे. इन एजेन्टों ने लोगों से लगभग रु. 2.50 करोड़ जमा होना प्रारम्भिक अनुमानों के आधार पर बताया है. जाँच कार्य जारी है. जमाकर्ताओं को सदस्य नहीं बनाया है.

5. संस्था का सदस्य रजिस्टर एवं ठहराव पुस्तिका देखने को मिली है. सदस्य रजिस्टर में पंजीयन के समय 50 लोगों के नाम हैं. उसके पश्चात् दिनांक 16 अगस्त, 2012 को श्रीमती नमिता गुप्ता को सदस्य बनाना दर्शाया है एवं सदस्य श्री विपिन पिता कन्हैयालाल जो पंजीयन के समय अध्यक्ष थे व बाद में प्रबन्धक बने हैं कि सदस्यता खारिज की है किन्तु कोई लिखापढ़ी नहीं है. इसके अतिरिक्त किसी भी जमाकर्ता एवं ऋण लेने वाले को सदस्य नहीं बनाया है. साथ ही संचालक मण्डल की प्रथम बैठक बाद मात्र बैठक बैंक को हस्ताक्षर नमूना भेजने के लिये 05 दिसम्बर, 2012 बैठक हुई है, इसके बाद कोई बैठक नहीं हुई है.

6. अंत समय में संस्था में 06 महिला कर्मचारी एवं 01 भृत्य-पुरुष कार्यरत थे जो वेतन न मिलने कारण अब कार्य पर नहीं आ रहे हैं.

7. संस्था में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा प्रबंधक के करार होने के बाद 09 संचालक शेष रहते हैं. उनमें से अभी तक 04 संचालकों का पता चला है. इनके द्वारा अपने बयान में बताया है कि उन्हें यह नहीं मालूम की वे संस्था के सदस्य होकर संचालक बने हैं.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था उपनियम, नियमों एवं निर्देशों के अनुरुप कार्य करने के प्रति गम्भीर नहीं है तथा संस्था के अकार्यशील होने से संस्था को परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, सी. के. तिवारी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, इन्दौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे तथा आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप अपना इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण या पक्ष रखना चाहते हैं तो एक सप्ताह में लिखित में प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 नवम्बर, 2013 को भी मेरे समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित अवधि के सम्बन्ध में आपका प्रतिउत्तर न आने पर यह माना जाकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं या आपका प्रतिउत्तर असंतोषजनक पाये जाने पर आगामी आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(107-A))

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2013

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष-श्री रमेश चौहान पिता रामदास,
   पता-ग्राम-सोनवाय, इन्दौर.
2. उपाध्यक्ष-श्रीमती गौरी बाई पति श्याम सिंह,
   पता-ग्राम-सोनवाय, इन्दौर.
3. उपाध्यक्ष-श्री सरदार सिंह पिता रामप्रसाद,
   पता-ग्राम-सोनवाय, इन्दौर.
4. संचालक-श्री धन्नालाल लाड पिता भगवानसिंह,
   पता-ग्राम-सोनवाय, इन्दौर.
5. संचालक-श्रीमती गोरल बाई पति बालाराम,
   पता-ग्राम-सोनवाय, इन्दौर.
6. संचालक-श्रीमती लाड कुंवर पति सरदार सिंह,
   पता-ग्राम-सोनवाय, इन्दौर.
7. संचालक-श्रीमती चंदर बाई पति दयाराम,
   पता-ग्राम-सोनवाय, इन्दौर.
8. संचालक-श्रीमती तुलसाबाई पति पूरन सिंह,
   पता-ग्राम-सोनवाय, इन्दौर.
9. संचालक-श्री करण सिंह पिता रामप्रसाद,
   पता-ग्राम-सोनवाय, इन्दौर.

क्र./परि./2013/3361.—गणेश खाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनवाय, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./आय.डी.आर./2488, दिनांक 10 फरवरी, 2011 है. संस्था के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी श्री दीपक सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में निम्न तथ्य प्रकाश में आये.—

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा माह अप्रैल, 2013 से अगस्त 2013 तक की अवधि में केन्द्रस्थ आधारित लेखा परीक्षा (सी.सी.ओ. बेस्ड ऑडिट) में जिले की गणेश खाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनवाय में एक ही परिवार के निम्न व्यक्तियों को सदस्य बनाए जाने सम्बन्धी आपत्ति का उल्लेख किया है जो श्री दीपक सोनी, सहकारी निरीक्षक की जांच में प्रमाणित हुआ है—1. श्रीमती इंदिरा बाई पति करण सिंह, श्रीमती लाड बाई पति सरदार सिंह, श्री गोपालसिंह पिता सरदारसिंह श्री करणसिंह पिता रामप्रसाद, श्रीमती इन्द्रा बाई पति करणसिंह.

2. उपरोक्त व्यक्तियों की संस्था में सदस्यता के परीक्षण में संस्था रिकॉर्ड के अनुसार उक्त सभी सदस्य संस्था के पंजीयन के समय सदस्य बनाये जाना पाये गये हैं. अध्यक्ष श्री रमेश चौहान द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में प्रबन्धकारिणी की बैठक दिनांक 12 अक्टूबर, 2013 की कार्यवाही में सदस्यों के त्यागपत्रों का उल्लेख है. जिसकी महालेखाकार द्वारा आपत्ति ली गई थी तथा अन्य पाँच सदस्यों द्वारा भी संस्था से त्यागपत्र अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया. अध्यक्ष द्वारा संचलक मण्डल की बैठक दिनांक 12 अक्टूबर, 2013 को सभी सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार किये गये.

3. वर्तमान में संस्था के पास मात्र 11 सदस्य शेष रहे हैं ऐसी स्थिति में संस्था का संचालन नियमान्तर्गत नहीं हो सकता है साथ ही अध्यक्ष द्वारा भी दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 को उपरोक्त आधारों पर कार्यालय में संस्था पंजीयन निरस्त सम्बन्धी आवेदन दिया है.

4. संस्था की अंकेक्षण टीप वर्ष 2011-12 में अंकेक्षण आक्षेप के अनुसार अंकेक्षक द्वारा संस्था की पंजीकृत उपविधि में दर्ज उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था द्वारा वर्ष 2011-12 में भी कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है. लगातार 02 वित्तीय वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. ऐसी स्थिति में 02 वर्ष तक कार्य प्रारम्भ न करने के कारण संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने के उचित आधार विद्यमान हैं.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था में उपनियम, नियमों एवं निर्देशों के अनुसार अस्तित्व में बने रहने के लिए न्यूनतम सदस्यता मापदण्ड की पूर्ति नहीं होती है तथा संस्था के अकार्यशील होने से संस्था को परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, सी. के. तिवारी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे तथा आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप अपना इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण या पक्ष रखना चाहते हैं तो 01 सप्ताह में लिखित में प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 नवम्बर, 2013 को भी मेरे समक्ष व्यक्तिगत् रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित अवधि के सम्बन्ध में आपका प्रतिउत्तर न आने पर यह माना जाकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं या आपका प्रतिउत्तर असंतोषजनक पाये जाने पर आगामी आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. के. तिवारी,
सहायक रजिस्ट्रार.

(107)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग

इन्दौर, दिनांक 03 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1),(2)व (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1050.—अलीराजपुर साख सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर (पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 12 मार्च, 2010) का जिन प्रयोजनों के लिए गठन एवं पंजीयन किया गया था, उसकी पूर्ति नहीं किए जाने एवं कोई कार्य व्यवसाय न करते हुए अकार्यशील बनी रहने के कारण संस्था का पंजीयन निरस्ती का प्रस्ताव उपायुक्त, सहकारिता, जिला अलीराजपुर द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया.

उपायुक्त सहकारिता, जिला अलीराजपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार एवं उनके द्वारा कराई गई जाँच के प्रतिवेदन दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 के अनुसार संस्था में एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को नियम विरुद्ध सदस्यता दी जाकर तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-7 में संस्था के पंजीयन हेतु स्पष्ट प्रावधान है कि संस्था की सदस्यता 20 भिन्न-भिन्न परिवार के व्यक्तियों की होनी चाहिए, किन्तु 09 प्रवर्तक सदस्यों द्वारा उपरोक्त सारवान् तथ्य को छिपाते हुए संस्था के संगठक एवं पंजीयन प्राधिकारी को दुर्व्यपदेशित किया जाकर संस्था का पंजीयन कराया गया है.

उपायुक्त, सहकारिता, जिला अलीराजपुर द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि पंजीयन के उपरांत संस्था का कार्य आरम्भ किया जाना आवश्यक रहा है, जिसकी पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जाने से, जिस प्रयोजन हेतु संस्था का गठन हुआ है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, जिससे संस्था का पंजीयन निरंतर रखा जाना विधि अनुकूल नहीं बताया है और इस हेतु नियमांतर्गत वैधानिक कार्यवाही की अभिस्तावना की है.

उपरोक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा संस्था के कुल 22 संचालक, सदस्य, पदाधिकारी, प्रवर्तक सदस्य को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक विधि-योजना/2013/950, दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 (मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के अंतर्गत) जारी करते हुए उपरोक्त विधि विपरीत कार्यवाही के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन/लिखित अभ्यावेदन/दस्तावेज/प्रमाण आदि 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, किन्तु उपरोक्त सभी प्रवर्तक सदस्य, संचालक, सदस्य, पदाधिकारी को उपरोक्त जारी सूचना-पत्र की हमदस्त (अदम) तामिली होने के उपरांत भी उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष किसी भी प्रकार का लिखित अभ्यावेदन, कथन, दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही जारी सूचना-पत्र के सम्बन्ध में समक्ष में कोई भी सदस्य/पदाधिकारी उपस्थित नहीं हो सका. उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्था के विरुद्ध उपायुक्त, सहकारिता, अलीराजपुर द्वारा कराई गई जाँच दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 के सम्बन्ध में विधि विपरीत कार्यवाही किए जाने के आरोप प्रमाणित होते हैं और उपरोक्त सम्बन्ध में संस्था स्तर से किसी भी सदस्य, पदाधिकारी, संचालक, प्रवर्तक सदस्य द्वारा उपस्थित न होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करना भी उपरोक्त विधि विरुद्ध कार्यवाही की स्वीकारोक्ति है.

अत: मैं, सलिल कुमार कटारे, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के तहत् मुझे प्रदत्त शक्तियाँ, जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्राप्त है, का उपयोग करते हुए अलीराजपुर साख सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर (पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 12 मार्च, 2010) का पंजीयन निरस्त करता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (2) के अंतर्गत श्री श्याम छतरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला कार्यालय अलीराजपुर को संस्था का शासकीय समनुदेशिती नियुक्त करते हुए यह आदेशित करता हूँ कि वे सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (3) एवं नियम 1962 के नियम क्रमांक 58-ए/क के तहत् इस आदेश दिनांक से एक माह की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली/दायित्वों का नियमानुसार परिसमापन करते हुए विधि अनुकूल कार्यवाही सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(108)

इन्दौर, दिनांक 04 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 ए/क (1),(2)व (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1053.—नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, झाबुआ जिसका गठन/पंजीयन दिनांक 23 मई, 1958 को तत्समय प्रभावशील विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत क्रमांक 922 पर किया गया था, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर सम्भाग द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अधीन आदेश दिनांक 10 जून, 1971 से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अधीन परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार संयुक्त पंजीयक, इन्दौर के संशोधित आदेश दिनांक 31 अगस्त, 2001 से श्री ओ. पी. पंवार, सहकारी निरीक्षक, झाबुआ को परिसमापनाधीन बैंक का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

2. उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के पत्रांक 446, दिनांक 24-03-2011 से परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण पत्रकों/सहपत्रों की प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करते हुए परिसमापक द्वारा की गई परिसमापन कार्यवाही को विधि संगत दर्शाया गया है, जिसमें नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के उपबन्धों के पालन में कृत कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण एवं सहपत्र संलग्न किए गए हैं.

3. तद्नुसार नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन दिनांक 23-05-1958 को होने के पश्चात् बैंकिंग व्यवसाय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति/अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं रही है तथा डिपाजिट इंश्योरेन्स कॉर्पोरेशन, मुम्बई की सदस्यता भी ग्रहण नहीं की गई है. बैंक की आस्तियों में अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं है तथा परिसमापक को कोई अचल सम्पत्ति प्रभार में प्राप्त नहीं हुई है तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक, झाबुआ, (मुख्य शाखा) में बचत खाता क्रमांक 563 में ब्याज सहित बचत राशि रु. 1994.10 चल सम्पत्ति प्राप्त हुई, जिसे परिसमापक द्वारा नियम क्रमांक 57 (ग) के अधीन दावों के आमंत्रण की जाहिर सूचना दिनांक 26-11-2010 (समाचार-पत्र) के प्रकाशन व्यय रु. 1000/- एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक, झाबुआ की नगद साख-सीमा ऋण के पेटे रु. 994.10 व्यय किया गया तथा बकाया ऋण राशि को अपलेखित किए जाने का प्रस्ताव वित्तदायी बैंक को प्रस्तुत किया. परिसमापन कार्यवाही के अन्तर्गत बैंक के सदस्यों की साधारण सभा दिनांक 10-12-2010 को आयोजित करने की कार्यवाही की गई. उक्त कार्यवाही में परिसमापक को किसी लेनदार/जमाकर्ता/सदस्य की ओर से कोई दावा अथवा कार्यवाही के विषय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा ऋणी व्यक्तियों का विवरण हस्तगत नहीं होने से बैंक की आस्तियों एवं दायित्वों से संबंधित ऐसी सभी प्रविष्टियां जिन्हें वित्तीय पत्रकों में उल्लिखित किया गया है, परिसमापक द्वारा दिनांक 31-03-2010 की स्थिति पर शून्य घोषित की गयी है. जिला कार्यालय, झाबुआ के अभिलेखों के अनुसार बैंक को शासकीय राशि/सहायता प्राप्त नहीं होने तथा शासकीय अंकेक्षण शुल्क बकाया नहीं होने से तथा बैंक के परिसमापन की कार्यवाही अधिनियम, 1960 की धारा 69-ए/क के अधीन, अपेक्षित नहीं की जाने से, धारा-70 (1) के अधीन नियुक्त किए गए परिसमापक द्वारा उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन स्वीकार करने योग्य है, जिसके संबंध में वर्ष 2010-11 में अद्यतन दिनांक 23-03-2011 तक अंकेक्षण कराते हुए अंकेक्षित विवरण भी प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, सलिल कुमार कटारे, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियाँ, जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्राप्त है, का उपयोग करते हुए नागरिक सहकारी बैंक, झाबुआ (परिसमापनाधीन) (पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 23 मई, 1958) का पंजीयन समाप्त करता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (2) के अंतर्गत श्री डी. एस. कोसरा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला कार्यालय झाबुआ को बैंक का शासकीय समनुदेशिती नियुक्त करते हुए यह आदेशित करता हूँ

कि वे सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (3) के तहत् इस आदेश दिनांक से 06 माह की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों/दायित्वों के संबंध में ऐसी सभी पश्चातवर्ती/परिणामी कार्यवाहियों का विधि अनुसार निराकरण करें और बैंक के अभिलेख/दस्तावेज एवं परिसमापन संबंधी समाप्त कार्यवाहियों के रिकार्ड अपने अधिपत्य में सुरक्षित रखें.

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सलिल कुमार कटारे,
संयुक्त पंजीयक.

(108-A)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 30 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1),(2), (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/2438.—यह कि गंगोत्री गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आई.डी.आर./776, दिनांक 17 जून, 1999 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति हो चुकी है. प्रभारी अधिकारी श्री एम. एल. सूलिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा जानकारी दी गयी कि संस्था में 14 सदस्या शेष हैं एवं संस्था के पास आवंटन के लिये कोई भूमि शेष नहीं है. संस्था के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर ली गयी है एवं भविष्य में कोई योजना नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

उपरोक्त वर्णित कारण से स्पष्ट है कि संस्था के अस्तित्व में बने रहने के लिये न्यूनतम सदस्य संख्या 20 का पालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का पालन करने में संस्था को कोई रुचि नहीं है.

अत: मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति की जा चुकी है एवं उसके सदस्यों की अब संस्था को बनाये रखने में कोई रुचि नहीं है. अत: संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गंगोत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आई.डी.आर./776, दिनांक 17 जून, 1999 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(2) के अन्तर्गत श्री के. एल. कोरी, सहकारी निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18(ए/क)(3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(109)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत श्री विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./आय. डी. आर/493, दिनांक 06 फरवरी, 1988 है, संस्था के प्रभारी अधिकारी श्री एन. के. राठौर, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2013 को पत्र प्रस्तुत कर संस्था अकार्यशील होने के सम्बन्ध में अवगत कराया एवं मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अर्न्तगत संस्था को परिसमापन में लाने का अनुरोध किया है. जिसके अनुसार संस्था को धारा-69 के अंतर्गत क्रमांक 1599, दिनांक 20 मई, 2013 के द्वारा कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया गया है. जो पंजीकृत डाक से बहिर्गामी अध्यक्ष को संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया. जिसके अनुसार पूर्व अध्यक्ष सलीम पटेल द्वारा दिनांक 17 जून, 2013 को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संस्था द्वारा धारा-49 (8) के अंतर्गत जारी आदेश क्रमांक/निर्वाचन/264, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करना उल्लेखित कर जवाब हेतु समय चाहा गया. सलीम पटेल पूर्व अध्यक्ष, श्री सुनील पूर्व उपाध्यक्ष, श्री असगर पटेल पूर्व संचालक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि संस्था के पास कोई भूमि नहीं है और ना ही संस्था द्वारा कोई कॉलोनी विकसित की गई है. इस आधार पर उनके द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जगदीश कनोज, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर श्री विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विवेक व्यास, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह भी आदेश करता हूँ कि अधिनियम की धारा-71 के अंतर्गत लेनदारियों की वसूली कर सदस्यों की जमा मूल राशि वापस करें एवं अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त (सहकारिता).

(109-A)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत धनलाभ साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./आय. डी. आर/2518, दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 है, संस्था के परीक्षण अधिकारी श्री जी. एस. भाटिया, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 को परीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसके अनुसार कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन) द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया एवं दिनांक 08 नवम्बर, 2013 को अंतिम कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर पंजीकृत डाक से भेजा गया. प्राप्त उत्तर के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित पाया है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. मैं, सी. के. तिवारी, सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला इन्दौर धनलाभ साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. सी. पालिवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह भी आदेश करता हूँ कि अधिनियम की धारा-71 के अंतर्गत लेनदारियों की वसूली कर सदस्यों की जमा मूल राशि वापस करें. एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. के. तिवारी,
सहायक रजिस्ट्रार (प्रशासन).

(109-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सतना

सतना, दिनांक 02 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/95.—राधा स्वामी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सुआ, पंजीयन क्रमांक 452, दिनांक 09 मई, 2003 है, के आदेश क्रमांक 1697, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 से परिसमापन में लाया जाकर श्री रमेश गुप्ता, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1697, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत राधा स्वामी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सुआ, का पंजीयन क्रमांक 452, दिनांक 09 मई, 2003 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ:—

1.	श्रीमती चन्द्रलेखा बढ़ौलिया	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शिवा द्विवेदी	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती ममता द्विवेदी	सदस्य
4.	श्रीमती रश्मी बढ़ौलिया	सदस्य
5.	श्रीमती ऊषा	सदस्य
6.	श्रीमती मनीषा	सदस्य
7.	श्रीमती दुर्गा	सदस्य
8.	श्रीमती करुणा	सदस्य
9.	श्रीमती सपना	सदस्य
10.	श्रीमती मंहगी	सदस्य
11.	श्रीमती चन्द्रकला	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 02 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(115)

सतना, दिनांक 26 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/210.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/578, दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा संस्था कालिका क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., खम्हारिया, पंजीयन क्रमांक 546, दिनांक 09 अप्रैल, 2008 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री गेहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए कालिका क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., खम्हारिया, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 546, दिनांक 09 अप्रैल, 2008 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

संजय नायक,
उप-रजिस्ट्रार.

(115-A)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 18 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र.....,दिनांक.....द्वारा निम्नलिखित सहकारी

संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गईं संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ओम शिव महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खजुरी टोला सतना.	287/24-04-1998	1265/05-10-2012
2.	महिला प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., वार्ड क्र. 41 पूर्वी सतना.	145/30-11-1994	1266/05-10-2012
3.	किसान क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., डाड़ीटोला	533/30-06-2006	1267/05-10-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. ए. अवस्थी,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(116)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 17 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 813, 814, एवं 815, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गईं संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, उदयपुर	589/04-10-2010	813/09-07-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मनटोलवा	615/21-10-2010	814/09-07-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कुटाई	621/21-10-2010	815/09-07-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एल. डी. सोनकर,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(117)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 10 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र.....,दिनांक..... द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गईं संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौतीकला	595/06-10-2010	613/22-05-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., धनवाही	602/06-10-2010	614/22-05-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., हिनौती	681/31-01-2011	615/22-05-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर (30 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

अजय गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(120)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 13 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 605, 606, 607, 608 एवं 609, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गईं संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ककरा	607/11-10-2010	605/22-05-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., अजवाइन	693/31-03-2011	606/22-05-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., बेल्दरा	702/05-05-2011	607/22-05-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., सलैया	596/06-10-2010	608/22-05-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., बंधी	692/31-03-2011	609/22-05-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर (30 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

बी. एल. कनौजी,
उप-अंकेक्षक.

(121)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 13 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र.580, 581, 582 एवं 616, 617, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धतुरा	608/11-10-2010	580/22-05-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., इटमा	599/06-10-2010	581/22-05-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुसेड़ी	605/06-10-2010	582/22-05-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धुनवारा	593/06-10-2010	616/22-05-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., लुढ़ौती	588/04-10-2010	617/22-05-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर (30 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

के. एल. कमरानी,
उप-अंकेक्षक.

(122)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 10 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 583 से 587, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे

परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनेड़ी	613/21-10-2010	583/22-05-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिलौरा	655/11-12-2010	584/22-05-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वेरमा	691/31-03-2011	585/22-05-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मगरौरा	603/06-10-2010	586/22-05-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदासपुर	620/21-10-2010	587/22-05-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. के. अग्रवाल,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(123)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 10 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र.....,दिनांक..... द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लटागाँव	641/11-10-2010	601/22-05-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लटागाँव	604/06-10-2010	602/22-05-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौदहा	656/11-12-2010	603/22-05-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., बदेरा	597/06-10-2010	604/22-05-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

सुजीत सिंह,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(124)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 03 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. ..... दिनांक ..... द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरा	594/06-10-2010	588/22-05-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डेल्हा	612/21-10-2010	589/22-05-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करहियाकला	582/30-09-2010	590/22-05-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरही	616/21-10-2010	591/22-05-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वंशीपुर	650/11-12-2010	592/22-05-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर (30 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

नरेन्द्र सिंह,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(125)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 04 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 593, 597, 598, 599, 600, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुल्हरिया	640/13-11-2010	593/22-05-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बठिया	651/12-11-2010	597/22-05-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरी	654/11-12-2010	598/22-05-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरा	672/04-01-2011	599/22-05-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पहाड़ी	689/31-03-2011	600/22-05-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर (30 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एन. पी. शर्मा,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(126)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/1118, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 द्वारा संस्था श्री कामद गिरि क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., कामता चित्रकूट, पंजीयन क्रमांक 549, दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. शर्मा, व. स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री कामद गिरि क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., कामता चित्रकूट, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 549, दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(118)

सतना, दिनांक 29 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/903.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./598, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरी, पंजीयन क्रमांक 654, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. शर्मा, व. स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरी, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 654, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(119)

सतना, दिनांक 29 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/903.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./599, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरा, पंजीयन क्रमांक 672, दिनांक 04 जनवरी, 2011 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. शर्मा, व. स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 672, दिनांक 04 जनवरी, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(119-A)

सतना, दिनांक 29 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/903.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./600, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पहाड़ी पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 31 मार्च, 2011 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. शर्मा, व. स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पहाड़ी, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 31 मार्च, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(119-B)

सतना, दिनांक 29 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/903.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./597, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बठिया, पंजीयन क्रमांक 651, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. शर्मा, व. स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बठिया, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 651,

दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(119-C)

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1331.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./609, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था कृष्णा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंधी, पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 31 मार्च, 2011 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कृष्णा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंधी, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 31 मार्च, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127)

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1330.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./607, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था माँ शारदा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेल्दरा, पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 05 मई, 2011 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए माँ शारदा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेल्दरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 05 मई, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-A)

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1329.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./608, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था शान्ती महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलैया, पंजीयन क्रमांक 596, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शान्ती महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलैया, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 596, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-B)

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1328.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/605, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा बजरंग महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ककरा, पंजीयन क्रमांक 607, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बजरंग महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ककरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 607, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-C)

सतना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1327.—गौरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. लखहा, पंजीयन क्रमांक 324, दिनांक 10 मार्च, 2000 है, के आदेश क्रमांक 1972, दिनांक 11 सितम्बर, 2008 से परिसमापन में लाया जाकर श्री धनश्याम पाण्डेय, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1972, दिनांक 11 सितम्बर, 2008 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत गौरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. लखहा, का पंजीयन क्रमांक 324, दिनांक 10 मार्च, 2000 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ. :—

1. श्रीमती अनीता तिवारी — अध्यक्ष
2. श्रीमती पंची
3. श्रीमती गौरी बाई
4. श्रीमती गायत्री
5. श्रीमती गंगा

6. श्रीमती सरोज बाई
7. श्रीमती सिया बाई
8. श्रीमती गुलविया
9. श्रीमती रामबाई
10. श्रीमती भूरी
11. श्रीमती श्यामकली

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(127-D)

सतना, दिनांक 18 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1153.—आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्या. मुकुन्दपुर, पंजीयन क्रमांक 657, दिनांक 14 अगस्त, 1987 है, के आदेश क्रमांक 1705, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 से परिसमापन में लाया जाकर श्री घनश्याम पाण्डेय, स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1705, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्या. मुकुन्दपुर, का पंजीयन क्रमांक 657, दिनांक 14 अगस्त, 1987 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ. :—

1.	श्री मदन लाल कोल	अध्यक्ष
2.	श्री लोले कोल	उपाध्यक्ष
3.	श्री रामाश्रय कोल	सदस्य
4.	श्रीमती आशा बाई	सदस्य
5.	श्री रामदेव कोल	सदस्य
6.	श्री राम करण कोल	सदस्य
7.	श्री मौजी लाल कोल	सदस्य
8.	श्री रामदयाल कोल	सदस्य
9.	श्री अजय कोल	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(127-L)

सतना, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1035.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1112, दिनांक 19 अगस्त, 2010 द्वारा संस्था कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बांधी मौहार, पंजीयन क्रमांक 400, दिनांक 20 जून, 2002 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, स.नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बांधी मौहार, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 400, दिनांक 20 जून, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-M)

सतना, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1039.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/592, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,वंशीपुर, पंजीयन क्रमांक 650, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह स.नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,वंशीपुर जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 650, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-N)

सतना, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1037.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./593, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था जयनारायण महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुल्हारिया, पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 13 नवम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. शर्मा, व.स.नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जयनारायण महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुल्हारिया, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 13 नवम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-O)

सतना, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1040.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/588, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरा, पंजीयन क्रमांक 594, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, स.नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 594, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. के. पाण्डेय,
उप-पंजीयक.

(127-P)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

सतना, दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1205.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/813, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था नन्दिनी महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., उदयपुर वि. ख. मैहर, पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एल. डी. सोनकर, स.नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, एस. एम. त्रिपाठी, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नन्दिनी महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., उदयपुर वि. ख.मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-E)

सतना, दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1206.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/815, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था कंगना महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कुटाई वि. ख. मैहर, पंजीयन क्रमांक 621, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एल. डी. सोनकर, स.नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, एस. एम. त्रिपाठी, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कंगना महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कुटाई वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 621, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-F)

सतना, दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1207.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/814, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था राधा स्वामी महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मनटोलवा, पंजीयन क्रमांक 615, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एल. डी. सोनकर, स.नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राधा स्वामी महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मनटोलवा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 615, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-G)

सतना, दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1208.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/583, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था श्री कृष्णा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनेड़ी, पंजीयन क्रमांक 613, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश अग्रवाल, स.नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्णा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनेड़ी, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 613, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-H)

सतना, दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1209.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/584, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था सीताराम महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., तिलौरा, पंजीयन क्रमांक 655, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश अग्रवाल स.नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सीताराम महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., तिलौरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 655, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-I)

सतना, दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1210.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/586, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था बजरंग महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मगरौरा, पंजीयन क्रमांक 603, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश अग्रवाल, स.नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बजरंग महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मगरौरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 603, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(127-J)

सतना, दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1211.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/617, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा कामधेनु महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., लुठौती, पंजीयन क्रमांक 588, दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, S.A. उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, एस. एम. त्रिपाठी, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कामधेनु महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., लुठौती, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 588, दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एम. त्रिपाठी,
उप-रजिस्ट्रार.

(127-K)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादन, सहकारी संस्था मर्या., डाल्याखेडी

दिनांक 22 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., डाल्याखेडी, तहसील बडवाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1283, दिनांक 15 फरवरी, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/1099, दिनांक 27 जुलाई, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(129)

कार्यालय परिसमापक, जय माँ भवानी रेत उत्खन्न, सहकारी संस्था मर्या., बैहगाँव

दिनांक 19 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

जय माँ भवानी रेत उत्खन्न सहकारी संस्था मर्या., बैहगाँव, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1154, दिनांक 23 सितम्बर, 2005 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/1205, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(129-A)

कार्यालय परिसमापक, जय संतोषी माँ रेत उत्खन्न, सहकारी संस्था मर्या., सुलगाँव

दिनांक 18 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

जय संतोषी माँ रेत उत्खन्न सहकारी संस्था मर्या., सुलगाँव, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1203, दिनांक 12 मार्च, 1999 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/1205, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा

सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(129-B)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादन, सहकारी संस्था मर्या., बागदरा

दिनांक 20 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., बागदरा, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक.....,दिनांक ..... है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/1205, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(129-C)

कार्यालय परिसमापक, श्रीराम कामगार कारीगर, सहकारी संस्था मर्या., गोगावा (डिगार)

दिनांक 20 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्रीराम कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., गोगावा (डीगार), तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1180, दिनांक 30 अक्टूबर, 1998 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/1205, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

एस. आर. कोचले,
परिसमापक.

(129-D)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013-14/1286, धार, दिनांक 18 सितम्बर, 2013 के अनुसार सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की साख सहकारी संस्था मर्या., धार जिसका पंजीयन क्रमांक 345, दिनांक 12 दिसम्बर, 1970 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, श्री आर. एस. कलेश ने उपस्थित होकर सुनवाई के दौरान जानकारी दी कि सदस्यों द्वारा कार्य में रुचि नहीं लेने के कारण संस्था वर्षों से अकार्यशील है. अध्यक्ष ने संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने का निवेदन किया है तथा सदस्यों की अंशपूँजी तथा अनिवार्य अमानत वितरित करने से स्पष्ट होता है कि संस्था कार्यशील नहीं हो सकती है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की साख सहकारी संस्था मर्या., धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. निगम, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(128)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2014-फाल्गुन 9, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के रीवा, उमरिया, सीधी, बैतूल, जबलपुर, मण्डला, अनूपपुर को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील हजूर, रायपुर कर्चुलियान (रीवा), बांधवगढ़ (उमरिया), गोपदवनास, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), भैंसदेही, बैतूल, आठनेर (बैतूल), पाटन (जबलपुर), बिछिया, मण्डला, नारायणगंज (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील अनूपपुर (अनूपपुर), मझौली (सीधी), जबलपुर (जबलपुर), नैनपुर, घुघरी (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील जेतहरी, कोतमा (अनूपपुर), निवास (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, झाबुआ, धार, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, बैतूल, जबलपुर, डिण्डोरी व सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला मुरैना में फसल सरसों व झाबुआ में चना व श्योपुर, ग्वालियर, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला झाबुआ, बुरहानपुर में फसल ज्वार व भोपाल, होशंगाबाद, डिण्डोरी, सिवनी, बालाघाट में धान व कटनी में मक्का, उड़द, तिल एवं दमोह, इन्दौर, बैतूल में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	मिलीमीटर	2. सरसों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपुर : 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मूँगफली, कपास, गन्ना, तिल, धान, सोयाबीन, उड़द, मूँग, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड : 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला ग्वालियर : 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला दतिया : 1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, तिल, सोयाबीन, मूँगफली, ज्वार, धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त
जिला शिवपुरी : 1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) धान, ज्वार, गन्ना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मूँग, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल, अरहर, धान, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	10.2				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	10.0				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	40.1		4. (1) धान अधिक. राई-सरसों कम. कोदों, सोयाबीन, उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	28.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	43.6				
4. पुष्पराजगढ़	67.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	4.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, रामतिल अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	5.5		4. (1) राई, सरसों, चना, मटर, मसूर कम. अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	31.0				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	3.0				
6. रामपुरनैकिन	11.1				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) मक्का, धान, तुअर अधिक. ज्वार, मूँग, कोदों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. धुन्धड़का	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तिल अधिक. मूँगफली कम. उड़द, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बडोद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँगमोठ, गन्ना, मूंगफली, अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना की बोनी व ज्वार की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. भामरा	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) ज्वार, धान, सोयाबीन, कपास, तुअर, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. च.शे.आ. नगर	. .				
4. कट्टीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन, कपास , मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला पूर्व निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ज्वार की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक. गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		ज्वार, तुअर कम. मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		तुअर, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, अरहर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सोयाबीन, मूँगफली, तिल, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		सन.		
4. गोहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं कटाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	8.8	चालू है.	4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोडा डोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	4.2				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	3.3				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	चालू है.	4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .	चालू है.	4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	6.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	22.2				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. मक्का, उड़द, तिल एवं	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	अन्य खरीफ फसलों की	4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	कटाई का कार्य चालू है.	राहर, कोदों, उड़द, ज्वार समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	52.2		4. (1) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल, सन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	16.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	23.1				
4. मण्डला	8.4				
5. घुघरी	20.8				
6. नारायणगंज	7.4				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द, राहर, कोदों-कुटकी, तिल, जगनी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, रामतिल, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, उड़द, सोयाबीन, सन कम. मूँग, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, सतना, शहडोल, बड़वानी, पूर्व-निमाड़, हरदा, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(134)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.